









**आज्ञापक**

**श्रद्धा, प्राविधिक शिक्षा परिषद**

**उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या- प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक 08/08/2021

**अनुमोदित नाम**

श्रद्धा आन्वैयिक तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2021-22 हेतु विनियोजित राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अनुमोदित प्रदान किये जाने के कारण श्रद्धा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30वां बजटसत्र से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संस्थागत संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/परीक्षा क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार कलह हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में विनियोजित श्रद्धा परिषद, 30 वां बजटसत्र द्वारा सत्र 2021-22 हेतु विनियोजित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित योग्यता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

**संस्था का कोड एवं नाम : 4803-LT.ML COLLEGE OF POLYTECHNIC, MILL-JUNGLE, DUDHA, DISTRICT CHEHRI, THAPPA, KATHRA, POST-CHEHRI, FAREEDA, MAHARAJGANJ-273303**

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0वी0ए0ई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	80	80
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0वी0ए0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, पत्र 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली-1992; सेनेक्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य विनियम विनियम एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क सील करीब इ0रु0 पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो बर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो बर्षीय पाठ्यक्रमों (दो बर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क हैं प्रत्येक व्यक्तियों से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त राजस्व/प्रवर्तकों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत विधेयकों को शासन/देश फलानों होने, और उद्भूत/अन्य कारणों से विनियमन आवश्यक होगा फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की अनुपालन ही लागू होगी।
- ✓ संस्था को (30000 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना; विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के विचार रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की व्यवस्था की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्देश/संशोधनों के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुरू करना करना होगा।

- ✓ संस्था को ए0अ0ई0ओ0ई0ओ0ओ0ओ0ओ0ओ0ओ0ओ से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया गया आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विधिविनियमों/परिचालन/नियंत्रण/निर्देशों एवं विदेशी, प्राथमिक शिक्षा, उच्च, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च द्वारा बनाये गये शिक्षा, शिक्षिका, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये तैयार होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन पारसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तो इस संबंध में समस्त आवश्यकताएं संस्था का होना और विधिक रूप से किले की कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बहूत दायन किया जाता है तथा राज्य सरकार के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाय है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधी समस्याएं संचालित होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन पारसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विधि आवश्यकताओं को संतुष्ट हेतु बहुरजिस्तीय प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0ओ0ई0ओ से अनुमोदन प्राप्त कर परीक्षा कार्यवाही एवं उत्तरदायक बनना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (बहु-जिस्तीय के माध्यम से) संस्था संस्था स्तर पर लोकी प्रवेश) अनुमति नहीं दिये जायेंगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये नियंत्रण नवीनतम आदेशों/निर्देशों पर अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठिका, रक्षा, राजस्व, उपकरण, प्राप्त शिक्षा जैसे प्रा.शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को विधान-निरीक्षण हेतु आवश्यक आवश्यकताएं उपलब्ध करने के साथ-साथ संस्था के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक आवश्यकताएं सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संघर्षित पर्यवेक्षण को उत्साह जलाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, सुनिश्चित, पत्रों, उपकरण इत्यादि को यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पर्यवेक्षण के संघर्षित में प्रयोग किया जाय है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सन्तुष्टता समाप्त किये जाने की आवश्यकता की जायेगी।
- ✓ संस्था को स्वीकृत निरीक्षण दौरान यदि संस्था में सुविधा, व्यवस्था, उपकरण एवं अन्य सामान-सम्पत्ति ए0अ0ई0ओ0ई0ओ0ओ0ओ0ओ0ओ0ओ0ओ से परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाय है तो संस्था की सम्बन्धित समस्याएं कर दी जायेंगी।
- ✓ सम्बन्धित सर्वेक्षण अनुसंधान में किये जाने प्रस्तावित आदेशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुसंधान/सर्वेक्षण कार्यवाही की जायेगी।

(गुनील कुमार शेरमा)

सचिव

दिनांक: 09/08/2021

सूचना- शिक्षापरिषद सम्बन्धित/2021/3538-4809

पता-  
 बंधुगंगा नगर निवेशक, I.T.M. COLLEGE OF POLYTECHNIC, VILL-JUNGLE, DUKHA, URIF CHEHRI, THAPPA, KATHRA, POST-  
 CHEHRI, FARANDA, MAHARAJGANJ-272103



(गुनील कुमार शेरमा)

सचिव